न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2025-76RAAJodhpur2025-34RTA223 Arjunram ors Vs Punaram etc
2025-68RAAJodhpur2025-33RTA223 Arjunram ors Vs Punaram etc

01. अर्जुनराम पुत्र रेवतराम
02. खीयाराम पुत्र गुणेशाराम
जातिय़ान् जाट, निवासीगण– ग्राम सारणपुरा, आऊ, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. पूनाराम पुत्र अलसाराम
02. मांगीलाल पुत्र अलसाराम
03. दीपाराम पुत्र अलसाराम
04. अनोपाराम पुत्र गुणेशाराम
05. उमाराम पुत्र अलसाराम
06. किशनाराम पुत्र गुणेशाराम
07. जेठाराम पुत्र गुणेशाराम
08. भगाराम पुत्र पन्नाराम
09. भीखाराम पुत्र अलसाराम
10. मोन्टी पत्नी गुणेशाराम
11. मांगीलाल पुत्र अलसाराम
12. सतुराम पुत्र रेवतराम
13. नेनू पुत्री रेवतराम
14. राजू पुत्री गुणेशाराम
जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम सारणपुरा, आऊ, तहसील आऊ, जिला फलोदी।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2025 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 01/2025 पूनाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

01. अर्जुनराम पुत्र रेवतराम
02. खीयाराम पुत्र गुणेशाराम
जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम सारणपुरा, आऊ, तहसील आऊ, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

16. पूनाराम पुत्र अलसाराम
17. मांगीलाल पुत्र अलसाराम
18. दीपाराम पुत्र अलसाराम
19. अनोपाराम पुत्र गुणेशाराम
20. उमाराम पुत्र अलसाराम
21. किशनाराम पुत्र गुणेशाराम
22. जेठाराम पुत्र गुणेशाराम
23. भगाराम पुत्र पन्नाराम
24. भीखाराम पुत्र अलसाराम
25. मोन्टी पत्नी गुणेशाराम
26. मांगीलाल पुत्र अलसाराम
27. सतुराम पुत्र रेवतराम
28. नेनू पुत्री रेवतराम
29. राजू पुत्री गुणेशाराम
जातियान् जाट, निवासीगण– ग्राम सारणपुरा, आऊ, तहसील आऊ, जिला फलोदी।
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आऊ, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 फरवरी 2025 सहायक कलक्टर आऊ राजस्व मूल वाद संख्या 01/2025 पूनाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 15

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 06 मार्च 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2025 अनवान पूनाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2025 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 फरवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 13 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

दोनो की अपीलों की विषय–वस्तु, पक्षकारान् एवं प्रकृति समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग–अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 658 रकबा 11.1532 हैक्टेयर, खसरा नं. 571 रकबा 35.5476 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 572/3 रकबा 8.8626 हैक्टेयर ग्राम सारणपुरा आऊ तहसील आऊ के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2025 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार आऊ से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार आऊ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 फरवरी 2025 पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का बिना साक्ष्य लिये ही निस्तारण किया गया है। अपीलार्थीगण को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने से वह विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष नहीं रख सके। विचारण न्यायालय द्वारा तलब विभाजन प्रस्ताव एकतरफा एवं अपीलांट्स की अनुपस्थिति में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा न ही विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि–विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किये जाने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2025 अनवान पूनाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2025 एवं निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 फरवरी 2025 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक व दो के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के विरूद्ध एकपक्षी कार्यवाही अमल में लाते हुए प्रस्ततु दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। तहसीलदार आऊ द्वारा विभाजन नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व सभी पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये तथा तहसीलदार आऊ द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में पक्षकारान् के कब्जे काश्त की स्थिति का ध्यान रखा गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव पर विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी की है। अपीलांट्स न तो विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा न ही उनकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजीयात के अद्यतन राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवतः 2076–2079 ग्राम सारणपुरा आंऊ के अवलोकन मुताबिक वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में विभाजित होकर बट्टा नंबर अंकित हो चुके है तथा तरमीम होकर होकर स्वतंत्र सीमाओं से आबद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत अपीलांट्स/प्रतिवादीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाने के उपरांत उन्हें जवाब प्रस्तुति का अवसर प्रदान करने, बाद जवाब प्रस्तुति वाद एवं जवाब के आधार पर मामले में तनकीयात कायम कर उभय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान करने तथा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत वाद का विधिक प्रावधानों अनुसार निस्तारण किये जाने की बजाय उक्त विधिक प्रावधानो को नजरअदांज करते हुए वाद संस्थित किये जाने के सात दिवस में ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार आऊ से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

तहसीलदार आऊ द्वारा भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयारी से पूर्व विधिवत्त रूप से पक्षकारान् को सूचित किये बिना उनकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना नियम–विरूद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर आऊ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 01/2025 अनवान पूनाराम व अन्य बनाम अर्जुनराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2025 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 07 फरवरी 2025 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं हिदायत के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद में वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्य–सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद का विधिसम्मत निस्तारण करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर